जाति को न्याय दिलाने के लिए, हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, जो आज भी इस गलत प्रथा का शिकार हैं, इस सख्त कानून को और सख्त बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने आश्वासन दिया है कि लॉ कमिशन रिपोर्ट को गंभीरता से विचारपूर्वक देखने के बाद इस कानून पर अमल किया जाएगा। मैं ऑनरेबल हाउस से और ऑनरेबल चेयर से यही निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके, इस कानून को और अधिक सख्ती के साथ लेकर आएं।

डिप्टी चेयरमैन सर, मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा। यह बात तब की है, जब एक दिन मैं अपने मित्र के घर गया था और मैंने उसकी बिटिया से मुलाकात की। उस समय बातचीत में जब यह विषय निकला कि वह शादी क्यों नहीं कर रही है, मुझे हाउस के सामने इसका कारण बताने में बहुत ही शर्म आ रही है, क्योंकि इस प्रकार हमारी बहुत सी नौजवान बहनें हैं, बेटियां हैं, जो आज शादी करने से घबराती हैं, क्योंकि वे इस प्रकार के फोर्सफुल और मेरिटल रेप के डर से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। यह एक बहुत बड़ा कारण है। आज समाज के अन्दर अगर आप देखें, तो एक तरफ live in relationship हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी कुछ बहनें, बेटियां शादी करने से घबराती हैं। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वे इस विषय पर गंभीरता के साथ विचार करेंगे और लॉ कमिशन की रिपोर्ट के बाद और ज्यादा सख्ती के साथ इस पर कानून लाएंगे, इसलिए मंत्री जी के इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, मैं अपने इस बिल को विदड्रॉ करता हूं, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; He has already withdrawn. The question is:

That leave be granted to withdraw the Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2014.

The motion was adopted

The Bill was, by leave, withdrawn.

...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Bill is withdrawn with the consent of the House. *...(Interruptions)...*

SHRI AVINASH PANDE: On the assurance. *...(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Assurance is on record. *...(Interruptions)...* No, no. *...(Interruptions)...* You need not.....*(Interruptions)...* It is over. Assurance is on record. What you have said is on record. It is over now.

The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2014 - *Contd...* *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, next the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2014. Further consideration of the following Motion moved by Shri Vishambhar Prasad Nishad on 24th April, 2015:-

*Further discussion continued from 24 April, 2015.

[Mr. Deputy Chairman]

"That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, be taken into consideration."

On the 24th of April, 2015 on a Motion moved by Shri Vishambhar Prasad Nishad under Rule 117, Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States and adopted by the House, debate on the Bill was adjourned. You see, that was adjourned by the decision of the House. Shri Prasad, therefore, now you can start the discussion. Shri Vishambhar Prasad, therefore, may speak. After that, other Members can speak. Yes, please.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, 24 अप्रैल 2015 को इस विधेयक पर डिस्कशन हुआ था। मैं इसके बारे बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने उस समय बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्तुति भेजी है, जिस पर आर.जी.आई. परीक्षण करवा रही है। 24 अप्रैल, 2015 के बाद हम लोग आज 4 दिसम्बर, 2015 के दिन बिल की बहस पर बैठे हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन) *पीठासीन हुए।*

मान्यवर, मेरे द्वारा 24 अप्रैल, 2015 को संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने हेतु बिल उपस्थित किया गया था। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि उसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सूची क्रम संख्या-18 में बेलदार दर्ज हैं, उसकी समनामी पुकारु उपजाति अथवा पर्यायवाची जाति बेलदार को परिभाषित किया जाए। क्रम संख्या-36 में गोड़ के साथ गौड़, गोड़िया, कहार, कश्यप, बाथम को परिभाषित किया जाए। क्रम संख्या-53 में मझवार की उपजाति केवट, मल्लाह, निषाद को परिभाषित किया जाए। क्रम संख्या 59 में पासी, तरमाली के साथ भर, राजभर को परिभाषित किया जाए। इसी तरह क्रम संख्या 65 में शिल्पकार के साथ कुम्हार, प्रजापति को परिभाषित किया जाए। क्रम संख्या 66 में तुरैहा के साथ धीमर, धीवर, तुराहा, तुरहा को परिभाषित किया जाए। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि दिल्ली और पश्चिमी बंगाल में मल्लाह अनुसूचित जाति में हैं। पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में केवट तथा मध्य प्रदेश में कुम्हार आदि जातियाँ अनुसूचित जाति में हैं।

मान्यवर, पूरे देश में उक्त जातियाँ कहीं अनुसूचित जाति में हैं, कहीं पिछड़ी जाति में हैं। ये इनकी विसंगतियाँ हैं। इनका रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, आपस में शादी-ब्याह एक जैसा है। इनकी उप-जातियों में अस्पृश्यता परम्परागत रूप से विद्यमान है। उत्तर प्रदेश सरकार अभी से नहीं, बल्कि लगातार 31 दिसम्बर, 2004, 19 सितम्बर, 2005, 16 मई, 2006 और 15 फरवरी, 2013 और 01.04.2015 को अपनी संस्तुतियाँ केन्द्र सरकार को भेजती रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि आर.जी.आई. इस पर बार-बार आपत्ति लगा देती है। वह कहती है कि इनके साथ छुआछूत नहीं होता, ये जातियाँ मिक्स हो गयी हैं, जबकि इनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर बहुत ही निम्न है और जो गाइडलाइंस हैं, उन सब मानकों को ये पूरा करती हैं।

मान्यवर, संविधान में भी व्यवस्था है कि प्रत्येक 10 साल में सभी जातियों के बारे में, चाहे वह अनुसूचित जाति हो या पिछड़ी जाति हो- आरक्षण से संबंधित जितनी जातियाँ हैं, इसकी समीक्षा की जायेगी और जो जातियाँ पिछड़ी हैं, जो मानकों को पूरा करती हैं, उनको सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन आज़ादी के 67 साल बीतने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया है। 1950 में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में दर्ज मझवार, गोंड, बेलदार, तरमाली, शिल्पकार, तुरैहा के प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं, जबकि 1931 की जनगणना के समय इनकी आबादी लाखों की संख्या में थी। अब उस जनसंख्या को विलुप्त बताया गया है। मैं यह बिल इसीलिए लाया हूँ किं सविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन कर इन जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में परिभाषित किया जाए, क्योंकि ये सभी जातियाँ अपेक्षित मानकों को पूरा करती हैं।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल को पास कराया जाये। उत्तर प्रदेश में ये जो जातियाँ हैं, जिनके बारे में यह बिल मैं लेकर आया हूँ- कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्द, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोडिया, इनको उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर उनको न्याय दिलाया जाये।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ किं मत्री जी का एक पत्र मुझे मिला। मंत्री जी ने पत्र के माध्यम से मुझे सूचित किया था। मैं 29 अप्रैल, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था और उनसे भी अनुरोध किया था कि मल्लाह कहीं अनुसूचित जाति में हैं, तो कहीं पिछड़ी जाति में हैं। दिल्ली में मल्लाह अनुसूचित जाति में हैं। भारतीय जनता पार्टी से रामचरित्र निषाद जी लोक सभा के सांसद हैं। वे भी निषाद हैं। उनको मल्लाह होने के नाते अनुसूचित जाति का लाभ मिला हुआ है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के अकबरपुर क्षेत्र से शंखलाल मांझी लोक सभा में सदस्य रहे। ये जो आपस में मिक्स जातियाँ हैं, इनके बारे में उत्तर प्रदेश का जो अनुसूचित जाति शोध संस्थान है, वह बार-बार रिपोर्ट भेज रहा है कि ये मानकों को पूरा करती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, भारत सरकार की जो आरजीआई एजेंसी है, वह पुराना हवाला दे देती है। कोई 1911 का, 1931 का या कोई दूसरा नियम लगाकर कहती है कि ये मानक पूरा नहीं करती हैं। मैंने इस बारे में अभी एक प्रश्न भी लगाया था। 03.12.2015 को मेरा एक अतारांकित प्रश्न सख्या 598 था। उसमें भी मैंने इस बारे में पूछा था, लेकिन सरकार ने गोलमोल जवाब देने का काम किया। तो मान्यवर, मैं यह चाहता हूँ, कि इन जातियों के साथ न्याय किया जाए।

सदन में हमारे क्षेत्र से बहन साध्वी निरंजन ज्योति जी भी बैठी हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। जब ये लोक सभा में चुन कर आयी थीं, तो इन्होंने भी वादा किया था। इसी बात पर फतेहपुर के लोगों ने इनको जिताने का काम किया था। इन्होंने लोक सभा में मामला उठाया। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि ये प्रधानमंत्री जी से बात करें। जब हम लोग वोट माँगने गये थे, तब वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम इन जातियों को न्याय देने का काम करेंगे, अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे, लेकिन अब कौन सी आपत्ति है कि जब प्रदेश सरकार लगातार रिकमेंड करके भेज रही है, तो भारत सरकार इसको डिनाई कर रही है? मैं माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ, चूँकि पिछली बार भी काफी वार्ता हो चुकी है.. ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा, चूंकि इन जातियों का स्तर देखिए, अभी तमिलनाडु में बाढ़ आई या कहीं भी बाढ़ आती है, मैंने यह सवाल उठाया था कि जब बाढ़ आती है तो

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

नाव चलाने वाले मल्लाहों को याद किया जाता है। इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति इतनी खराब है कि इनके घर के बर्तन देख लीजिए, ये कच्ची झोंपड़ी में रहते हैं, नदी किनारे रहते हैं, समुद्र किनारे रहते हैं। इसीलिए मैंने माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया था कि अगर कहीं बाढ़ आती है, दैवी आपदा आती है तो आपके पास अलग से कोई एजेंसी नहीं है कि नाव चलाने वाले को आप कहीं से ला पाएं। फिर पता चला कि जिनके यहां बाढ़ आती है तो वह अपने बच्चे, परिवार को अपनी नाव में लेकर जा रहे नाविक को उतारकर ज़बर्दस्ती पुलिस के बल पर लाते हैं। हमने मांग की थी कि इनको केन्द्रीय पुलिस बल में या राज्यों में अलग से फोर्स बनाया जाए और इनको स्पेशल आरक्षण का दर्जा दिया जाए, जिससे कि दैवी आपदाओं में इनसे काम लिया जा सके। हमने देखा है, एक बार मेरे क्षेत्र में बाढ़ आई थी, मिलिट्री लगा दी गई थी। मेरे क्षेत्र में तिन्दवारी के दरदा में मिलिट्री फोर्स के लोग वहां एक नाव में गए थे, वह नाव पलट गई थी। एक महिला तीन बच्चों को लिए हुए थी। एक नाव चलाने वाला था, दो मिलिट्री वाले थे, वे सेफ्टी जैकेट पहने हुए थे। जब नाव पलट गई तो चारों लोगों ने एक पेड़ को पकड़ लिया। उस महिला ने कहा कि मेरे एक बच्चे को पकड़ लीजिए। केन्द्रीय पुलिस बल का जो तैराक था, उसने कहा कि पहले मैं अपनी जान बचाऊंगा तो इस कारण वह उस बच्चे को नहीं पकड़ पाया। महिला ने फिर अपने तीनों बच्चों को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन फिर वह महिला बच्चों के साथ पानी में बह गई। ऐसी दुर्घटनाएं हमने देखी हैं। हम जानते हैं कि किस तरीके से नदी किनारे, झीलों के पास व समुद्र किनारे किस तरह से इन जातियों के साथ दुर्व्यवहार होता है। इनको काफी परेशानियां हैं। इनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश में इनकी हालत बहुत खराब है। ये सब अपना मानक पूरा करती हैं इसलिए मैंने अपना एक प्राइवेट मेम्बर बिल सदन में प्रस्तुत किया है। मैं माननीय सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पास किया जाए। माननीय मंत्री जी उदार हैं, उन्होंने कहा था कि हम इसको कराएंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी हमको भरोसा दिलाया था किहम इसका परीक्षण कराएंगे। माननीय उपसभापति जी, हमारी आपसे अपील है कि माननीय मंत्री जी से कहें कि इस बिल को, जो मैंने प्रस्तुत किया है पास कराया जाए। चूंकि जो ये जातियां हैं, हमारा जो मामला है, वह परिभाषित करने का है और हमने पहले ही बता दिया है कि कौन जाति किस के साथ परिभाषित किया जाना है। मैंने सारा विवरण बतला दिया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पारित कराएं जिससे कि आपका चुनावी वायदा भी पूरा हो सके। काले धन का वायदा तो पूरा नहीं हो पाया, जिसमें कहा था कि हम हरेक को 15 लाख रुपए देंगे, वह तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम इनको आरक्षण ही दिला दीजिए, जिससे कि लोग यह तो कहें कि इन्होंने कोई न कोई वायदा तो पूरा किया है। मैं सभी दलों के सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष, विपक्ष, सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित कराने की कृपा करें, धन्यवाद।

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Respected Vice-Chairman, my colleague, Vishambhar Prasad Nishadji, through this Bill, tried to draw the attention of the House and the Union Government towards the low-lying and low-level communities in Uttar Pradesh, which are eagerly waiting to be included in the list of Scheduled Castes. I take this opportunity to briefly submit that there are very severe anomalies all across

the nation and several communities are waiting for justice for several decades. Boya Valmiki, washermen community Rajaka, stone-breaking community Vadera and some such communities are Scheduled Castes in some States and those were included as Other Backward Classes in other States. These types of anomalies have to be removed and uniform categorisation of such communities is highly required for their emancipation. Therefore, I urge upon the Minister of Social Justice to evolve instruments and mechanisms to assess the socio anthropological level of the communities across the nation. Based on the scientific enumeration the urges which are pending for quite long should be taken into consideration. Just as I mentioned, the Boya Valmiki community which totally depends on the forest produce for their livelihood were included in the list of the Other Backward Classes in my State of Telangana and Andhra Pradesh. Though there are other community people in other States categorised as Scheduled Castes but they were not categorised as Scheduled Castes in other States, they are being deprived of the essential support which is supposed to be given to them. To assess the community, the research and empirical process has to be taken to judge the social defence, social security, social justice and social empowerment levels. Only then can we do justice to these communities.

During the discussion on this Bill, I would like to draw the attention of the Union Government to initiate a process to build a proper mechanism by involving the scientific tools of the socio- anthropological methods to assess the aspirations of several communities such as Boya Valmiki, Razakka and Waddera . Only then can real justice be done to the waiting communities to be included in the list of the Scheduled Castes. Thank you very much.

SHRI TIRUCHI SIVA: Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you. The day before yesterday I had made a Special Mention with regard to a community called Narikoravan Tribe in Tamil Nadu. This Bill which my colleague has moved is with regard to the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2014 whereas mine is with regard to the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill. Sir, the Narikoravan is a community in Tamil Nadu who are considered to be nomadic people and who depended solely on hunting. After the hunting is banned they don't have any job to do and they are literally left alone. So many of them are literally educated but they are not giving due recognition by way of employment. So, what we suggest is those people must be brought under the Scheduled Tribes. Just for the convenience of the Minister I would like to say that in the year 2013, the UPA Government brought a Bill to amend the Scheduled Tribes Order to include the Narikoravan community as Scheduled Tribes. But after the dissolution of the 15th Lok Sabha that Bill got lapsed. So, I would urge the Minister, making use of this opportunity, the Ministry need not take much efforts over that, to

[Shri Tiruchi Siva]

bring the Bill back again which has lapsed to give life to a very big community who very much deserve the attention of the Government. So, Sir, thanking my colleague for bringing the Bill at the right occasion so many communities are deprived of education and employment for the past centuries. We know the system which we don't want to discuss and elaborate here. Our country has been relied on so many things, so many conventions which have prevented so many people from coming into common people's array. We know literally very well that though you have efficiency, you are deprived of education. You are deprived of admission to educational institutions. Thanks to the great fight of leaders like Periyar in the South, Dr. Ambedkar and Lohia and all. So many reformations have come. And, it is only by way of enacting laws that people who are downtrodden, who have been suppressed and deprived of their genuine rights, as against what they deserve, could be helped.

I hope the hon. Minister, who has always been progressive, who has helped me in moving and passing the Bill on Transgenders–which is now to be discussed in the Lok Sabha – would take this into consideration. The *Narikkuruva* community is still around us. If the Minister so wishes, I can give him all the relevant material. It would be very easy to do that. The Bill that had been introduced in the Lok Sabha and lapsed, can be brought forth again. The *Narikkuruva* community would be grateful to this Government for that and today's progressive life could be shared with them too. One community need not be sidelined, marginalized or discriminated just because of lack of opportunities. By way of reservations, by way of including some people who have suffered for long for many reasons that we know very well, we could relieve them and bring them up in life by bringing laws.

Hence, I would request the Minister to amend the Scheduled Tribes Order to include *Narikkuruvas* and declare them as a Scheduled Tribe. Kindly reintroduce the Bill which lapsed in the 15th Lok Sabha and which was brought by the earlier Government. Thank you.

श्री हुसैन दलवई : महोदय, आदरणीय विशम्भर प्रसाद निषाद साहब जो बिल यहाँ लाए हैं, मेरे ख्याल से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। मैं तो कहूँगा कि एक दफा इसके ऊपर एक अलग कमीशन नियुक्त करके, अलग-अलग जगहों पर जो कुछ लोगों को छोड़ देने का काम हुआ है, जिसकी वजह से उनके ऊपर इतने सालों से अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को दूर करने के लिए हमें कहीं न कहीं काम करना पड़ेगा।

अभी मुझे ज़रा आश्चर्य हुआ कि यूपी में मल्लाह को शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं रखा गया है। मेरे ख्याल से बिहार, दिल्ली और पश्चिमी बंगाल में मल्लाह को शेड्यूल्ड कास्ट में रखा गया है। मुझे

लगता है कि यह गलत बात है। यही बात गौड़-गोड़िया के बारे में भी है। जातियों के नाम हर जगह एक नहीं रहते, उनके नाम कुछ फासले के बाद बदल जाते हैं। हमारे यहाँ कुनबी, कुर्मी, वैश्यवानी, वैश्य हैं, जिनके संबंध में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अमल में लाने के वक्त बहुत दिक्कतें आईं। वे एक ही जातियाँ हैं, उनमें शादी-ब्याह होते हैं और वे एक-दूसरे के घर खाना खाते हैं, तो भी उनको यह फायदा नहीं मिलता है। मुस्लिम, क्रिश्चियन मुस्लिम और जो आदिवासी हैं, उनको रिज़र्वेशन के फायदे मिलते हैं, लेकिन जो मुस्लिम या क्रिश्चियन दलित हैं, उनको यह फायदा नहीं मिलता है। मेरे ख्याल से इसमें बदलाव करना जरूरी है। मैं तो यह सुझाव दूँगा कि इस प्राइवेट बिल को सरकार को वैसे का वैसा ही मान्य करना चाहिए।

दूसरी बात यह है किं मडल कमीशन के तहत जो जातियाँ आती हैं या जो जातियाँ शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती हैं, उनके बारे में एक कमीशन की नियुक्ति हो। जो जातियाँ यहाँ से बाहर गई हैं, जिनको न्याय नहीं मिला है, उनके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाति-व्यवस्था की वजह से समाज में अन्याय होता है, जैसे मल्लाह के ऊपर अन्याय होता है, दीन के ऊपर अन्याय होता है। हमारे यहाँ जो बेलदार है, वह पत्थर तोड़ने वाला है, लेकिन यहाँ वह मजदूर होता है। हमारे यहाँ बेलदार को भी शेड्यूल्ड कास्ट का फायदा नहीं है, लेकिन उसको इसमें लिया गया है, हालांकि वह बहुत नीचे के स्तर का है। मुझे आश्चर्य लगता है कि हमारे यहाँ जो धोबी है, उसको ओबीसी तो समझा जाता है, लेकिन दलित नहीं समझा जाता, जबकि वह यूपी और बिहार में दलित समझा जाता है। ये डिफरेंसेज़ क्यों हैं? इसकी जाँच होनी जरूरी है। ये जो सबसे पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, इनको हमें मान्य करना चाहिए। अभी मैं पासी के बारे में भी बोलूँगा। पासी को तो इसका फायदा दिया जाता है, लेकिन तरमाली, भर, राजभर को इसका फायदा नहीं दिया जाता। सर, मेरे ख्याल से यह तो बिलकुल गलत बात है। कहीं न कहीं सभी लोगों को इसके फायदे होने चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसका provision इसलिए किया कि जो पिछड़े हुए हैं, उन्हें साथ में लाया जा सके। उनका उद्देश्य यही था कि जिन्हें मौका नहीं मिला, उन्हें बराबर का मौका दिया जाए और उन्हें साथ में लाया जाए। श्री आनन्द भास्कर रापोलू ने भी यही बात कही थी कि जो छूट गए हैं, उन्हें बराबर लाने के लिए विशेष मौका दिया जाए। जो लोग पिछड़े हुए हैं, उन्हें विशेष मौका देकर अपने साथ लाने की कोशिश करना ही इस विधेयक का उद्देश्य है, लेकिन वह उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ और सालों से ये लोग पिछड़े हुए हैं।

महोदय, मेरे ख्याल से अभी तक 'मल्लाह' जाति का कोई भी व्यक्ति IAS या IPS अधिकारी नहीं बना है, अभी तक कोई 'बेलदार' बड़ी पोस्ट पर नहीं गया है और अभी तक कोई 'तुराहा' जाति का व्यक्ति बड़ी पोस्ट पर नहीं गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बताना चाहता हूं कि यह इसलिए हो रहा है-क्योंकि कहीं न कहीं इन जातियों को reservation के दायरे से बाहर रखा गया है। यह इनके ऊपर अन्याय है और यह सालों से चला आ रहा है। अब तो देश को आजाद हुए भी लगभग 68 साल हो गए हैं, इसलिए अब तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

महोदय, अगर इसके ऊपर सरकार विचार करेगी, तो हमारी पार्टी आपकी सरकार को पूरी तरह से साथ देगी, क्योंकि आखिरकार यह सामाजिक न्याय की बात है। जहां सामाजिक न्याय की बात होगी वहां कांग्रेस पार्टी और दूसरी सभी पार्टियां आपके साथ रहेंगी। आजकल आप भी सामाजिक

[श्री हुसैन दलवई]

न्याय की बातें करते हैं। आप बार-बार महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं, यह अच्छी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं।

महोदय, आपने श्री रामदास अठावले को सामाजिक न्याय की बात करते-करते भी अभी तक बाहर रखा है, यह गलत बात है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कहीं न कहीं उनके ऊपर भी न्याय करने की बात सरकार को करनी चाहिए और उन्हें भी मंत्री बनाना चाहिए। जहां तक जाति का सवाल है, इस सवाल पर सारा हाउस मिलकर एक साथ रहना चाहिए और इन लोगों को, जो सबसे पिछड़े हैं, उन्हें बाजू में रखना गलत है। अगर उन्हें बाजू में रखा जाएगा, तो उनकी कभी भी उन्नति नहीं होगी, वे कभी भी समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उनकी आज जो हालत है, यह अच्छी बात नहीं है। मुझे यही कहना है कि सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए, धन्यवाद।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत)ः उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने जो Private Member Bill के रूप में एक विधेयक प्रस्तुत किया, उसकी पहले भी चर्चा हुई और आज भी चर्चा हुई है। इस चर्चा में माननीय आनन्द भास्कर रापोलू जी, श्री तिरुची शिवा और श्री हुसैन दलवई साहब ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनकी बातों से मैं भावनात्मक रूप से सहमति व्यक्त कर सकता हूं, परन्तु जो कानून-कायदे बने हुए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए, जब हम उनका अनुपालन करने की कोशिश करते हैं, तो हम उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं और न उनकी मदद कर पा रहे हैं।

महोदय, केवल इस सरकार के समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं है। देश की आजादी के तुरन्त बाद, जब संविधान बना और संविधान में S.C. और S.T. को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, तो उसके साथ ही साथ जातियों के निर्धारण की भी कार्रवाई शुरू हुई। इसके लिए एक समिति बनी। उस समिति ने अनुसूचित जाति में कौन होगा तथा अनुसूचित जन जाति में कौन होगा, इसका लम्बे समय तक अध्ययन किया और देखा कि उन जातियों का background क्या है- इस बारे में निष्कष निकाला और फिर Article 341 में S.C. की एक सूची बनी और इसी प्रकार Article 342 में S.T. की एक सूची बनी एवं वर्ष 1950 में उसके आधार पर वे दोनों सूचियां जारी हो गईं तथा उनके आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण सम्बन्धी सुविधाएं मिलने लगीं।

महोदय, जो जातियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में दर्ज हो गईं और उनमें यदि कोई परिंवतन करना हो, तो समय-समय पर परिंवतन करने हेतु उसी समय नियम भी बना दिए गए। वर्ष 1950 में अनुसूचित जातियां आदेश जारी हुआ, तब से यह आदेश निरन्तर लागू है। महोदय, इस में संशोधन करने की कुछ प्रक्रियाएं व नियम बनाकर निर्धारित किए गए हैं और उनका अनुपालन पिछली सरकारें भी करती आ रही हैं। सर, चूंकि यह एक कानून है और इस कानून का पालन करना वर्तमान सरकार का भी कर्त्तव्य है, अब अगर किसी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करना हो, तो वह जिस प्रदेश का विषय है, उस प्रदेश की सरकार उस जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव व अनुशंसा भेजती है। उसके बाद हम नियमानुसार अगर एस.सी. में सम्मिलित करने की बात है, तो उसे आर.जी.आई. को भेजते हैं। महोदय, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास उन सब

जातियों का बैकग्राउंड है, जो अनुसूचित जाति में लिस्टेड हैं। इस सम्बंध में जो आदेश 1950 में जारी हुआ, उन सब जातियों का बैकग्राउंड उनके पास है और उस बैकग्राउंड को देखते हुए वह उन जातियों के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं और उस पर अपनी सहमति या असहमति देते हैं।

मैं माननीय विशम्भर प्रसाद जी की भावना से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में वह इस जाति में सम्मिलित है, दूसरे प्रदेश में है, तीसरे में भी है, लेकिन उसमें नहीं, उस राज्य में नहीं हैं। महोदय, अनेक राज्यों में एक जाति तीन जिलों में हैं, दूसरे तीन जिलों में ओबीसी में है, लेकिन बाकी पूरे प्रदेश में नहीं है, कोई जाति कुछ जिलों में ओबीसी में है, दूसरे चार जिलों में एस.सी. में है, दूसरे पांच जिलों में एस.टी. में है, तो within state भी इस प्रकार की स्थिति है।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए*)

महोदय, मेरे मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति है। तीन जिलों में "प्रजापति" अनुसूचित जाति में हैं, बाकी में ओबीसी में है। तीन जिलों में किसी और जाति को किसी और जाति में सम्मिलित किया गया है, लेकिन किसी में ऐसा नहीं है। इस तरह भिन्न-भिन्न राज्यों में यही स्थिति है, परंतु कौन सी जाति अनुसूचित जाति में होगी, इस बारे में जब अध्ययन किया गया तो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने निष्कर्ष निकाला। अब मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आज की परिस्थिति में बहुत सी जातियां उस समय आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से अच्छी परिस्थिति में रही होंगी, लेकिन वे आज कुछ कमजोर हो गयी हैं। उस समय वे कमजोर थीं, लेकिन आज कुछ अच्छी स्थिति में हैं। यह सब है, लेकिन उस समय जातियों का जो बैकग्राउंड निर्धारित हो गया, उसी को आधार बनाकर आज आर.जी.आई. अपनी रिपोर्ट देती है और माननीय विशम्भर प्रसाद जी ने जिन जातियों का उल्लेख किया है, यह विषय 2003-2004 से चल रहा है और उस समय जब इस बारे में उन जातियों की अनुशंसा आई तो हमने उसे आर.जी.आई. के पास भेजा। आर.जी.आई. ने उस पर असहमति व्यक्त की। अब जब एक बार असहमति आती है, तो हम जिस प्रदेश सरकार से अनुशंसा आई थी, उसे सम्बंधित राज्य सरकार को भेजते हैं। उनसे फिर से कहते हैं कि आर.जी.आई. ने आपकी अनुशंसा को इस कारण से अस्वीकार कर दिया है, लेकिन अगर आप किसी विशेष जानकारी और विशेष तथ्यों के साथ फिर से इसे recommend करना चाहते हैं, तो कर दें। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस समय प्रस्ताव को वापस कर लिया था। जानकारी देने के बजाय, तर्क देने या उसकी पुष्टि कर के फिर अनुरोध करने के बजाय, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हमारे प्रस्ताव को वापस ले लेते हैं। यह 2007 की बात है। उसके बाद फिर सरकार बदली और दूसरी सरकार ने फिर अनुशंसा कर दी। फिर वह मामला आया और फिर नियमानुसार हमने उसे आर.जी.आई. के पास भेजा। अब आर.जी.आई. ने उसका अध्ययन कर के फिर असहमति व्यक्त की और उस असहमति की जानकारी हमने वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार को, जहां तक मुझे ध्यान है, अगस्त माह में भेज दी।

अब माननीय विशम्भर प्रसाद जी चाहते हैं कि ये जातियां इस में सम्मिलित हों, परंतु 1950 की जो अधिसूचित अनुसूचित जातियां हैं, उनसे इन जातियों का उस समय का बैकग्राउंड और आज के बैकग्राउंड का तालमेल नहीं खाता, ऐसा आर.जी.आई. का कहना है और हमारे लिए आर.जी.आई. का निर्णय, सहमति या असहमतिं बधनकारी है। अगर आरजीआई इस पर सहमति दे देती, तो नियमानुसार हम इस मामले को एससी कमीशन के पास भेजते। चूँकि आरजीआई ने इस पर दो-दो

[श्री थावर चन्द गहलोत]

बार इनकार कर दिया, इसलिए हमारे पास वे सारे रास्ते बंद हो गए। चूँकि इस पर आरजीआई की असहमति हो गई, इस कारण से भारत सरकार इन जातियों को, भले ही वह उनसे तालमेल रखती है, उनसे मिलती-जुलती जातियाँ हैं या पर्यायवाची शब्द हैं, फिर भी अगर आरजीआई ने असहमति व्यक्त कर दी है, तो वर्तमान कानून के हिसाब से भारत सरकार इन जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने की कार्रवाई नहीं कर सकती है। यह हमारी मजबूरी है। मैंने पहले बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हमने इसकी सूचना दे दी थी कि इन परिस्थितियों के कारण हम इन जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने में असमर्थ हैं। इसलिए मैं माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद जी से क्षमा याचना करता हूँ कि हम आपकी भावनाओं का कानूनी प्रावधान नहीं होने के कारण अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये विषय निरंतर लंबे समय से चल रहे हैं और चलते रहेंगे और अगर भविष्य में कभी परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी और कानून में संशोधन होगा, तो इस पर निश्चित रूप से विचार होगा।

महोदय, दलवई साहब ने एक विषय उठाया। हालाँकि वह इस विधेयक का हिस्सा तो नहीं है, परन्तु उन्होंने कहा कि जो ऐसी धर्मांतरित जातियों के लोग हैं, जो वर्तमान में या तो ईसाई बन गए हैं या जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, परन्तु कभी न कभी वे हिन्दू जाति के थे और वे वहाँ उस समय अनुसूचित जाति में दर्ज थे, किन्तु आज ईसाई बन गए हैं या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, उनके बारे में भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने की माँग उन्होंने की है। मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहूँगा किं सवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आज जो कानून है, उसके अनुसार अगर वह हिन्दू धर्मावलम्बी है और 1950 की अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज है, उसी को वह पात्रता है, अन्य किसी धर्मावलम्बी को नहीं है। एक बार इसमें संशोधन हुआ था, तो जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है और जो अनुसूचित जाति के रहे हैं, उनको भी यह सुविधा देने का प्रावधान है। यह सिख धर्मावलम्बियों के लिए भी है। परन्तु अगर अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म स्वीकार करता है या ईसाई धर्म स्वीकार करता है, तो उसके लिए अभी नियम में कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार नहीं, इस पर अनेक बार चर्चा हुई है, देश की आजादी से पहले भी हुई है और आजादी के बाद 1948 में भी हुई है, 1952 में भी हुई है और 1956 में भी हुई है। निर्णय करने वालों ने इस सम्बन्ध में यह निष्कष निकाला कि धर्म परिवतन के बाद उनके साथ सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो अंतर दिखाई देता था, वह नहीं रहता है, क्योंकि अनुसूचित जाति हिन्दू धर्मावलम्बी होने के कारण छुआछूत की परिधि में माना जाता था। आज उसमें काफी अंतर आ गया है, सुधार आ गया है। उन्होंने जो माँग की है, वह आज न्यायसंगत और कानूनसंगत नहीं है। इसके साथ ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। वहाँ इस सम्बन्ध में अनेक याचिकाएँ दायर हुई हैं। उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार-विमश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद सरकार उस निर्णय को देख कर आगे इस पर विचार कर सकती है। आज तो मेरे ख्याल से इस विषय में इतना ही कहना न्यायसंगत होगा।

श्री ऑस्कर फर्नांडिस (कर्णाटक) : आपको सरकार का यह सुझाव सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना चाहिए।

श्री हुसैन दलवई : सर, मैं मंत्री महोदय को सूचित करना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम आदिवासी

4.00 P.M.

हैं, उनको रिजर्वेशन दिया गया है। यह बात मैं कितना भी बोलूँ, यह कहा जाता है कि सभी मुसलमान समान हैं, लेकिन निज़ाम और हज्जाम मस्जिद में नमाज तो इकट्ठे पढ़ते हैं, यह सही है, लेकिन मस्जिद से बाहर आने के बाद निज़ाम अलग है और हज्जाम अलग है। यह भी ध्यान में रखना चाहिए। मजहब बदला, लेकिन आप देखेंगे कि मुसलमानों में जाति व्यवस्था बराबर बरकरार है। आज भी सैय्यद अपनी बेटी अंसारी के घर नहीं देता। जाति व्यवस्था के बारे में जो बातें कही गई हैं कि यह हिन्दू समाज में है, वह मुसलमानों में भी जारी है। ऐसे कितने लोग हैं? ये बहुत कम लोग हैं। आज भी शौचालय साफ करने वाला जो मुसलमान है, वह शौचालय ही साफ करता रहता है, लेकिन उसको इसका फायदा नहीं मिलता है।

मेरे ख़याल से मज़हब के नाम पर इस तरह से फर्क करना गलत बात है। ...(**व्यवधान**)... एक मिनट, एक मिनट। जब मंडल कमिशन आया था, उस समय जो पिछड़ी मुस्लिम जातियां हैं, उनको हक़ दिए जाने के बारे में बयान आया था। जो मंडल कमिशन में आने वाली जातियां हैं, मैं खुद भी उनमें आता हूं, उस समय मैंने उनकी एक मीटिंग बुलाई। मुंडे साहब मेरे अच्छे दोस्त थे, तो मुंडे साहब और बीजेपी के एक अन्य नेता ने मुझे फोन करके कहा कि आप यह क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें जाकर समझाया कि यह इस प्रकार की बात है। उसके बाद मंडल कमिशन के इम्प्लिमेंटेशन में, जो मुस्लिम जातियां हैं, उनको भी लिया गया और बीजेपी के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, इसलिए कहीं न कहीं इस पर विचार होना चाहिए। आज अगर आप इस काम को करेंगे, तो मैं इसका बड़ा स्वागत करूंगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; now Shri Vishambhar Prasad Nishad. *...(Interruptions)...*

SHRI JAVED ALI KHAN (Uttar Pradesh): Sir, only one small clarification. माननीय मंत्री जी, विशम्भर प्रसाद निषाद जी के संशोधन प्रस्ताव पर, आरजीआई का हवाला देकर माननीय मंत्री जी बड़ी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। एक बार पहले भी इस सदन में इस विषय पर बहस हो चुकी है और आज भी कुछ वक्ताओं ने इस पर अपनी बात रखी है। मोटे तौर पर किसी ने भी इनके प्रस्ताव से, इनके संशोधन से असहमति अभिव्यक्त नहीं की है, लेकिन आप इसमें अपनी मजबूरी जाहिर कर रहे हैं। मैं बहुत छोटी-छोटी दो बातें कहना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक मुख्य मंत्री जी थे, इत्तिफाक़ से वे भी आप ही की पार्टी के थे। उनकी जाति की एक उप जाति, जो न ओबीसी में आती थी और न ही एससी में आती थी, उन्होंने मांग की कि कम से कम आप हमें ओबीसी में शामिल कर दीजिए। उन मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया और दो-चार महीने के अन्दर ही वह जाति ओबीसी में शामिल हो गई। इसी तरीके से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में एक जाति है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वह बड़ी इन्फ्लुएंशियल जाति है, लेकिन उसके लिए यह मांग हुई कि इसे ओबीसी में शामिल कर दिया जाए। इससे उन्हें कोई राजनैतिक फायदा था या नहीं था, वह बात अलग है, लेकिन हम देखते हैं कि आज वह जाति ओबीसी में शामिल हो चुकी है।

हम यहां सिर्फ इन जातियों को और उनकी उप जातियों को परिभाषित करने की बात कर रहे हैं, तो आप यह बताएं कि यह कैसे संभव है कि मल्लाह अगर यमुना के इस पार का है, तो वह

[Shri Javed Ali Khan]

अनुसूचित है, लेकिन अगर मल्लाह यमुना के उस पार है, तो वह अनुसूचित नहीं रह सकता? यह कोई बात नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं, आरजीआई इतनी पावरफुल है कि सदन के अन्दर राजनैतिक दलों की जो सहमति बनकर आ रही है, क्या उसे भी वह ओवररूल कर देगी? तब तो आरजीआई महान है और मंत्रालय कुछ नहीं है, संसद कुछ नहीं है।

मंत्री जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विषय को आप इच्छाशक्ति के हिसाब से लीजिए और जिन जातियों का स्तर अनुसूचित जाति के बराबर है, उन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल कीजिए, धन्यवाद।

श्री रामदास अठावले (महाराष्ट्र) : सर, महाराष्ट्र में जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट से बुद्धिस्ट बन गए हैं, उनके सामने यह प्रॉब्लम आ गई कि कॉलम भरते वक्त उन्हें यह कहा गया कि आपने तो बौद्ध लिखा है, इसलिए अब वे जनरल में माने जाते हैं। महाराष्ट्र में कम से कम 4% लोग इस तरह से जनरल कैटेगरी में चले गए हैं, वे न तो एससी/एसटी में आते हैं और न ही ओबीसी में आते हैं। जब वी.पी. सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय महाराष्ट्र में जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट से बुद्धिस्ट बने थे, उनको शिक्षा और नौकरियों में रिज़र्वेशन देने का प्रस्ताव पारित किया गया थे, इसलिए महाराष्ट्र में जो लोग भी शेड्यूल्ड कास्ट से बुद्धिस्ट बने हैं, उन्हें यह लिखना पड़ता है कि पहले वे हिन्दू महार थे। यह लिखने के बाद ही उनको रिज़र्वेशन की सुविधा मिलती है। मुझे लगता है कि अपनी वर्तमान जाति लिखने के बाद उन्हें अलग से रिज़र्वेशन मिलना चाहिए।

मंत्री महोदय, इसके लिए आप कुछ प्रावधान कीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, do you want to react?

श्री थावर चन्द गहलोतः मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में पारित हुआ था। उसके बाद इन जातियों में अनेक बार संशोधन हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें संशोधन नहीं हुए हैं, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि एक मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए कहा था और चार महीने बाद वह जाति उसमें शामिल हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास अनेक राज्यों से प्रस्ताव आए और वे सहमत भी हुए, परन्तु आरजीआई और एससी कमिशन की सहमति के बाद ही वे बिल के रूप में सदन में आए और सदन ने उन पर सहमति दी। इसमें लम्बे समय से संशोधन की प्रक्रिया आती रही है, चलती रही है और संशोधन होते भी रहे हैं, परन्तु इन जातियों का, जिनका उल्लेख विशम्भर प्रसाद जी ने किया है, इस पर आरजीआई की सहमति नहीं है। चूँकि उसकी सहमति नहीं है, इसलिए हम इस पर आगे विचार नहीं कर पा रहे हैं, मैंने यह निवेदन किया।

दलवई साहब ने कुछ बातें कही हैं। मैं विस्तार से बहुत सारी बातें कह सकता हूँ, परन्तु उन्होंने जो विषय उठाया है, वह आज सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय होगा, उसके बाद हम देखेंगे।

माननीय ऑस्कर फर्नांडिस साहब ने निवेदन किया कि भारत सरकार की ओर से कोई affidavit वहाँ दिया गया है, तो जी हाँ, दिया गया है। भारत सरकार ने वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में

और जो नियम, कायदे-कानून बने हैं, उनके दायरे में यह दिया है कि "धर्मांतरित व्यक्ति, चाहे फिर वह ईसाई बन गया हो या इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया हो, वर्तमान कानून में एससी का दर्जा प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है।" बस इतना हमने दिया है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा, उसको आगे हम देखेंगे।

विशम्भर प्रसाद जी, मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि आप अपने विधेयक को वापस ले लें, धन्यवाद।

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः माननीय उपसभापति जी, मैं इसमें स्पष्टीकरण चाहता हूँ। महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह बात पहले भी पिछले सदन में कही थी। मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूँ कि...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Nishad, it is your reply; no more clarification. You are the mover; it is your reply. Now, the Minister's clarification is over; no more clarification. You are the mover, and you are replying. You reply and say whether you want to press it or whether you want to withdraw the Bill. That is all.

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः सर, मैं उसी में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ।

श्री उपसभापतिः अभी मिनिस्टर ने तीन बार क्लेरिफिकेशन दिया। अब और कोई क्लेरिफिकेशन नहीं होगा।

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। जब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के पहले से हमारे फिशरमेन का शानदार इतिहास रहा है। कानपुर के शक्तिचौरा में 11 लोगों ने अंग्रेज़ों को गंगा नदी में डुबोकर मारने का काम किया था और आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। 1857 में तिलका मांझी से लेकर आगे भी उनका पूरे देश में इतिहास रहा है।

मान्यवर, अब पुल बन गये, सड़कें बन गयीं और उनका सारा व्यापार खत्म हो गया। अब हमारे फिशरमेन की जो उप जातियाँ हैं, केवल उनकी विसंगतियाँ हैं। कहीं वह अनुसूचित जाति में है तो कहीं अनुसूचित जनजाति में है।

उत्तर प्रदेश में जो मझवार है, उसको एक भी सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा है। वह इसलिए जारी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे कह देते हैं कि तुम मल्लाह हो और दिल्ली में जो मल्लाह है, उससे कह देते हैं कि तुम धीवर हो, कहार हो, तुम निषाद हो, इसलिए तुमको मल्लाह का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने यह बिल पेश किया था।

हमारे आनंद भास्कर साहब ने, तिरुची शिवा साहब ने, हुसैन दलवई जी ने और जावेद भाई तथा अन्य माननीय सदस्यों ने मेरे इस बिल का समर्थन किया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 1971 में भइया राम मुंडा बनाम अनिरुद्ध पटार नामक एक प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। मान्यवर, हमारे समाज में न तो कोई आई.ए.एस. है, न पी.सी.एस. है और समाज न ज्यादा पढ़ा-लिखा है, तो उस समय कोई संशोधन नहीं ला पाये थे। उस समय हमारा कोई एमपी

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

नहीं था, कोई एमएलए नहीं था और कोई अधिकारी नहीं था। बहुत सी तमाम जातियाँ थीं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चमार के साथ धुसिया जाटव को जोड़ने वाली बात हुई, एक जाति के साथ सब जातियाँ जुड़ गईं, लेकिन हमारे लोग रह गये, क्योंकि हमारे लोग पढ़े-लिखे नहीं थे, जानकार नहीं थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोगों को यहाँ भेजा है। मैं आज राज्य सभा में हूँ, तो इसलिए अपनी जातियों की वकालत कर रहा हूँ और यहाँ यह बिल लाया हूँ।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इनकी भावनायें समझिए। उत्तर प्रदेश में आपकी जो अनुसूचित जाति/जनजाति शोध संस्थान नामक एजेंसी है, वह इसकी संस्तुति भेज रही है। आरजीआई में कुछ लोग बैठे हैं। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि वे लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग इसमें न आ पायें, जबकि उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति ऊपर उठ गयी है। वे आई.ए.एस. अधिकारी हैं। वे सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्तर में आगे बढ़ गये हैं। वहीं अगर हमारे लोगों की शैक्षिक स्थिति देखी जाये, तो हमारे 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग अभी भी अशिक्षित हैं, पढ़े-लिखे नहीं हैं। संविधान में व्यवस्था है कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर को देख कर 10-10 साल में संशोधन होगा। यह सदन इसीलिए है कि इसमें हमेशा रिव्यू होगा और जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े हैं, उनको अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जायेगा। जैसे हिन्दू से जो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे, जैसा दलवई साहब ने भी बताया, आज जो स्वीपर का काम कर रहे हैं, धोबी का काम कर रहे हैं, आज उनको अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं है। यह उनको भी मिलनी चाहिए। जैसे गुजरात में कोरी जाति बैकवर्ड में है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति में है और मध्य प्रदेश में धोबी है। आपने कुछ जिलों में प्रजापति के बारे में बताया कि ये मध्य प्रदेश में एससी में है, जबकि कुछ जगहों में बैकवर्ड में है। माननीय मंत्री जी, आप ये सारी विसंगतियाँ दूर कराइये, जिससे सभी को न्याय मिल सके। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपसभापति जी से कि हमारा बिल पास कराया जाए। मैं अपना बिल वापस नहीं लेता हूं।

श्री उपसभापति : आप विदड्रॉ कीजिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : अगर मंत्री जी कह दें कि हम इसको करा देंगे तो हम वापस ले लेते हैं। इसमें क्या दिक्कत है?

श्री थावर चन्द गहलोत : उपसभापति जी, मैंने पहले भी निवेदन किया था...(**व्यवधान**)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : आर.जी.आई. में कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हैं, वे नहीं चाहते हैं। बार-बार वे पुराना हवाला दे देते हैं कि यह 2002 में खारिज किया, इसलिए अब भी असहमत हैं।

श्री उपसभापति : कुछ एश्योरेंस दे सकते हो?

श्री थावर चन्द गहलोत : माननीय उपसभापति महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मैं उनकी भावना से सहमत हूं परन्तु जो संवैधानिक प्रावधान और कानूनी प्रक्रिया है, उस दायरे में वह नहीं आ रहा है। जहां तक आर.जी.आई. का सवाल है, इसी आर.जी.आई. की सहमति से पिछले 50 सालों में बहुत सारे संशोधन हुए हैं। अब एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको वापस ले लिया था

इसलिए आर0जी0आई0 दूसरी बार सहमति देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में भविष्य में जब भी कोई ऐसा विषय आएगा, तो हम माननीय सदस्य की भावनाओं का सम्मान करेंगे, लेकिन आज की तारीख में तो सहमति देना संभव नहीं है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी) : माननीय मंत्री जी ने आपकी भावनाओं का सम्मान करने की बात की है, आप इसको विदड्रॉ कर लें।

श्री उपसभापति : अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो आप देखिएगा।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : महोदय, मंत्री जी यह हवाला दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको वापस ले लिया था। उस समय बसपा सरकार थी। 6 जून, 2007 को उन्होंने वापस ले लिया था। राजनीतिक कारणों से वापस ले लिया था। तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, उनकी सरकार चली गई। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप 2014 के लोक सभा चुनावों में यह कह कर आए थे, उत्तर प्रदेश में पूरा समर्थन आपको मिला है, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे बिल को पास किया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, are you withdrawing?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : नहीं-नहीं, हम विदड्रॉ नहीं करेंगे।

श्री उपसभापति : नहीं करते?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : नहीं-नहीं, हम विदड्रॉ नहीं करेंगे।

श्री उपसभापति : विदड्रॉ नहीं करेंगे?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : हम विदड्रॉ नहीं करेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, I will have to put it for vote. ...*(Interruptions)*...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वी : माननीय निषाद जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से आपको आश्वस्त किया है कि जो भी संवैधानिक दायरे में नियमों के दायरे में होगा - वे आपकी भावनाओं से भी सहमत हैं और उसके बारे में उन्होंने बहुत कहा है कि जो भी संवैधानिक दायरे में होगा, हम जरूर करेंगे। अब इसके बाद मुझे लगता है कि इसको प्रेस करना, इस पर चर्चा करना ठीक नहीं है क्योंकि और भी कई माननीय सदस्यों के बिल अभी हैं, उन पर चर्चा होनी है। अब मुझे लगता है तथा मेरा अनुरोध है कि इसको विदड्रॉ कर लीजिए।

श्री उपसभापति : निषाद जी, मंत्री जी ने बोला कि अगर कोई पॉसिबिलिटी होगी तो वह करेंगे, लेकिन उन्होंने बताया है कि डिफिकल्टी क्या है। He has explained the difficulty.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, पिछली बार भी यही आश्वासन आया था, इस बार माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया। हमें सरकार से उम्मीद नहीं है। इसलिए हम इसको प्रेस करते हैं और इस पर आप मतदान कराइए। कोई दिक्कत नहीं है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you withdrawing?

SHRI VISHAMBHAR PRASAD NISHAD: No; no.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not withdrawing?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : सर, हम वापस नहीं ले रहे हैं।

श्री उपसभापति : आप विदड्रॉ कर लें।

SHRI VISHAMBHAR PRASAD NISHAD: Sorry. Not withdrawing ...(**व्यवधान**) आप मतदान करा लीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If he is not withdrawing, I will have to put it to the decision of the House. That is the only way. *...(Interruptions)...*

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मैं अपने बिल पर बल देता हूं।

श्री थावर चन्द गहलोत : महोदय, मैं एक बार और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने उनकी भावनाओं से सहमति व्यक्त की है, प्रारम्भ से की है। मैं चाहता भी हूं कि ये जो प्रस्ताव, विधेयक यहां पर लाए हैं, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, परन्तु नियम, कायदे, कानून और संवैधानिक प्रावधान के दायरे में आज वह करने की स्थिति में हम नहीं हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि भविष्य में जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, हम निश्चित रूप से उनके सुझावों को ध्यान में रखेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि आप इसको विदड्रॉ कर लें।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : आप मतदान कराइए।

श्री उपसभापति : क्या फायदा?

SHRI VISHAMBHAR PRASAD NISHAD: No, Sir; I am not withdrawing.

DR. K.P. RAMALINGAM (Tamil Nadu): Sir, it is a Constitutional amendment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. So, I will have to put it for vote.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, quorum is not there.

SHRI TIRUCHI SIVA: There is no quorum, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no quorum. That is the finding now. Okay, there is no quorum. *..(Interruptions)..*

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, adjourn the House.

SHRI JAVED ALI KHAN: Sir, it is a Constitutional amendment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will make a decision on that. I am taking a decision

on that. Let me formally get the quorum slip. I am not to count and take a decision. Let me see. It is coming.

Now, since it is raised in the House that there is no quorum and it has been confirmed that there is no quorum, I am adjourning the House for the day to meet on Monday at 11.00 a.m., that is, on 7th December, 2015, at 11.00 a.m.

The House then adjourned at nineteen minutes past four of the clock till eleven of the clock on Monday, the 7th December, 2015.